फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती मंजु (वगैरा) बनाम श्री रामकन्या (वगैरा)

किस्म मुकदमा वाद नं0 44 सन् 2019

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-4-19	✓वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7-6-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
7-6-19	उभय पक्ष उपस्थित ... पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30-8-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
30-8-19	उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 12-9-19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	प्रतिवादी रामकन्या दि. 6-9-19 Id by me
2-9-19	पत्रावली दिनांक 2-9-19 को सहायक कलेक्टर मांडल फास्ट ट्रेक मे हस्तांतरित की जाती है । पत्रावली दिनांक 12-9-19 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी मांडल,जिला-भीलवाड़ा	6/9/19 वाद पत्र डिक्री किया जावे तो कोई एतराज नहीं है
6-9-19	वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजीनामा का पेश किया जिससे पत्रावली शीघ्र तलब की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 से 02 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना	मन्जु कुमारी कान्ता दुर्गा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	गया, प्रतिवादीगण 01 से 02 की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री राजमल जीनगर ने पेश किया जिसे शा॰ प॰ किया गया, वादी सं॰ 04 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन शर्मा ने जरिये राजीनामा पेश किया वादीगण एंव प्रतिवादी सं॰ 01 से 02 ने आपसी राजीनामा को सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया तथा उसी अनुसार वाद पत्र का निस्तारण किये जाने की इस्तदुआ की।
	मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा आपसी राजीनामा पर मनन किया। न्यायहित मे प्रस्तुत आपसी राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 117 मे आराजी नं॰ 3173 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण प्रत्येक का 1/6 एक बटा छह हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही राजस्व रेकार्ड की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के साथ वादीगण को सह खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिग्री जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना - अपना वहन करे।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।
	सहायक कलक्टर माण्डल जिला भीलवाड़ा

अनवान प्रकरण

1- श्रीमती मंजु पुत्री बालुराम उर्फ बालुलाल पत्नी मोहन लाल तिवाड़ी नि० बागोर हाल निवासी मेघरास तहसील - सहाड़ा जिला - भीलवाड़ा

2- श्रीमती कांता देवी पुत्री बालुराम उर्फ बालुलाल पत्नी रतनलाल तिवाड़ी निवासी - बागोर हाल निवासी - मेघरास तहसील - सहाड़ा जिला - भीलवाड़ा

3- श्रीमती दुर्गा देवी पुत्री बालुराम उर्फ बालुलाल पत्नी जगदीश चन्द्र शर्मा निवासी - बागोर हाल निवासी - पालड़ी तहसील - आसीन्द जिला भीलवाड़ा

4- श्रीमती मालती देवी पुत्री बालुराम उर्फ बालुलाल पत्नी लक्ष्मी लाल जोशी निवासी - बागोर हाल निवासी श्यामगढ़ जिला मंदसोर (मध्यप्रदेश) [वादीगण]

बनाम

1- श्रीमती रामकन्या बेवा बालुराम उर्फ बालुलाल राव निवासी - बागोर हाल निवासी - गोरख्या तहसील करेड़ा जिला - भीलवाड़ा

2- श्री देवरतन पिता पुत्री बालुराम उर्फ बालुलाल तिवाड़ी निवासी - बागोर हाल निवासी - गोरख्या तहसील - करेड़ा जिला - भीलवाड़ा

3- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 मुकदमा नं0 / वर्ष 44/19 272/19 निर्णय दिनांक 06-09-2019

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री पवन शर्मा Adv. मुकाबिल मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः आपसी राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील मांडल मे स्थित आराजी नं• 3173 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि मे वादीगण प्रत्येक का 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, साथ ही राजस्व रेकार्ड की इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के साथ वादीगण का नाम अंकन किया जावे। उक्तानुसार तहसीलदार मांडल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना - अपना वहन करे।

आज तारीख 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
माण्डल जिला भीलवाड़ा